प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
<u>निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.</u>

प्रकरण संख्याः 68 / 2026 (अपील सूचना का अधिकार)

Dilip Singh Sisodiya Add: 19, Surji ka guda, P.O. Jawad, Tehsil Ghasa, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329192827334915 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2026 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7984333197 दिनांक 09.03.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/68/26/411–12 दिनांक 09.03.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.02.2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में भूतपूर्व सैनिक हरि सिंह पिता उदयसिंह को आवंटित/आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में 6 बिंदुओं पर सूचना चाही गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा हरि सिंह पिता उदयसिंह के नाम आवंटित होने वाली भूमि के संबंध में आवंटन संबंधित भूमि की पत्रावली संख्या एवं आदेश क्रमांक का अंकन आदेश को उल्लेख नहीं होने के अभाव में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अनुसार बिंदु संख्या 1 एवं 2 से संबंधित सूचना यदि अभिलेखों (आवंटन आदेश, रिकार्ड, फाइल) में उपलब्ध हो, तो यह सूचना प्रदान की जा सकती है। बिंदु संख्या 3 एवं 4 संबंधित नियम, प्रक्रिया एवं शासनादेश अभिलेखीय रूप में उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बिंदु संख्या 5 यदि कोई फाइल/प्रकरण लंबित है, तो उसकी अभिलेखीय स्थिति एवं उपलब्ध प्रगति विवरण (जो रिकॉर्ड में विद्यमान हो) प्रदान किया जा सकता है। बिंदु संख्या 6 "आवंटन क्यों रुका हुआ है" जैसे प्रश्न स्पष्टीकरण/कारण बताओ की श्रेणी में आते हैं, जो अधिनियम की धारा 2(एफ) के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं आते, जब तक कि यह कारण अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज न हो। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना का कुछ भाग अभिलेखीय एवं प्रदान करने योग्य है, जबकि कुछ भाग स्पष्टीकरण/व्याख्या की श्रेणी में आता है, जिसे प्रदान किया जाना अधिनियम के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है। सूचना का

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

RajKaj Ref No.: 22091206
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.08 13:21:27 IST
Reason: Approved

अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का दायित्व केवल वही सूचना उपलब्ध कराना है जो अभिलेखों में विद्यमान हो एवं जिसे उचित रूप से पहचाना जा सके। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अस्पष्ट, अपूर्ण अथवा सामान्य विवरण के आधार पर व्यापक, अनिश्चित एवं समय–साध्य खोज करे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा आवंटन आदेश/पत्रावली संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो नियमानुसार बिंदु संख्या 1 से 5 तक की सूचना, जो अभिलेखों में उपलब्ध है, अपीलार्थी को उपलब्ध कराएं। बिंदु संख्या 6 के संबंध में, यदि अभिलेखों में कोई ठोस कारण दर्ज है, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए, यदि किसी बिंदु पर सूचना उपलब्ध नहीं है अथवा अधिनियम की धारा 8 व 9 के अंतर्गत अपवर्जित है, तो नियमानुसार अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण किया जावे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

RajKaj Ref No.:
22091206
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.08 13:21:27 IST
Reason: Approved